रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/ आषाढ़ 24, 1936
No. 183] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASADHA 24, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

(निर्णायक समीक्षा)

नई दिल्ली 15 जुलाई, 2014

विषय : चीन जन.गण., रूस और थाईलैण्ड में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित ''रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक'' के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) की शुरूआत।

सं.15/8/2014-डी जी ए डी.—वर्ष 1995 में और उसके पश्चात् यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर

पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

2. यतः, आस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., रूस और थाईलैण्ड में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित 'रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक (जिसे एतद्पश्चात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से सम्बंधित पाटनरोधी जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/21/2008-डी जी ए डी के तहत प्रारम्भ की गई थी।

3. यतः, आस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., रूस और थाईलैण्ड में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच परिणाम दिनांक 25 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/21/2008-डी जी ए डी के तहत जारी किए गए थे। आस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., रूस और थाईलैण्ड में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनन्तिम शुल्क का अधिरोपण दिनांक 30 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 83/2009-सीमाशुल्क के तहत किया गया था। प्राधिकारी की अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/21/2008-डी जी ए डी के तहत प्रकाशित की गई थी। उक्त देशों में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण दिनांक 28 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 6/2010 के तहत किया गया था।

4. यतः, प्राधिकारी ने दिनांक 30 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 15/41/2010-डी जी ए डी के तहत मध्यावधि समीक्षा (एम टी आर) प्रारम्भ की थी और दिनांक 28 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या 15/41/2010-डी जी ए डी के तहत सम्वर्धित दरों पर पाटनरोधी शुल्क की निरन्तरता बनाए रखने की संस्तुति की थी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 9/2013-सीमाशुल्क (ए डी डी) के तहत अधिरोपित किया गया था।

5. यतः, मैसर्स फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड और मैसर्स हाई-टेक कार्बन (जिन्हें एतद्पश्चात् आवेदक कहा गया है) ने प्राधिकारी के समक्ष नियमावली एवं अधिनियम के अनुसार एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र, आस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., रूस और थाईलैण्ड में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन की निरन्तरता बने रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षति होने की सम्भावना का आरोप लगाते हुए दायर किया है और उक्त देशों में उदभवित अथवा वहां

से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क में संवर्धन करने, उसकी निरन्तरता बनाए रखने और उसकी समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

शामिल देश

6. आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान इस सम्बद्ध वस्तु का आस्ट्रेलिया से कोई आयात नहीं हुआ। याचिकाकर्ताओं ने आस्ट्रेलिया से होने वाले किसी पाटन की सम्भावना का कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसके उत्तरवर्ती रूप में याचिकाकर्ताओं ने आस्ट्रेलिया से आयातों के सम्बन्ध में अपनी याचिका वापस ले ली और पाटन एवं क्षति की निरन्तरता या उसकी सम्भावना दर्शाने वाले साक्ष्य के अभाव में आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में प्राधिकारी से निर्णायक समीक्षा जॉच प्रारम्भ न करने का अनुरोध किया। उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति के मद्देनजर प्राधिकारी ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के दायरे से आस्ट्रेलिया का अपवर्जन कर दिया है और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में चीन जन.गण. रूस और थाईलैण्ड (जिन्हें एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) को सम्बद्ध देश के रूप में माना है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7. वर्तमान निर्णायक समीक्षा आवेदन में विचाराधीन उत्पाद, मूल जांच के विचाराधीन उत्पाद के समान ही ''रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक'' है। मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को निम्नवत परिभाषित किया गया था:

> '' 5. विचाराधीन उत्पाद 'रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक' है। यह एक अकार्बनिक रसायन है जिसका प्रयोग रबड़ (टायरों सहित) उत्पादन/प्रसंस्करण में संबलन पूरक के रूप में किया जाता है। कार्बन ब्लैक को एसिटायलीन ब्लैक, चैनल ब्लैक, फरनेस ब्लैक, लैम्प ब्लैक, थर्मल ब्लैक और न्वायर-डि-कार्बन के रूप में भी जाना जाता है। कार्बन ब्लैक को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है – रबड़ और गैर-रबड़ अनुप्रयोग कार्बन ब्लैक। रबड़ अनुप्रयोगों के लिए कार्बन ब्लैक वह कार्बन ब्लैक है जिसका प्रयोग रबड़ (टायर सहित) के उत्पादन/प्रसंस्करण में प्रबलन पूरक के रूप के किया जाता है। वर्तमान जांच रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के बारे में है। कापियर और कम्प्यूटर प्रिन्टर कार्टरिजों में स्याही, पेन्टस, क्रेयान्स और पालिशेस आदि जैसे गैर-रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाने वाला कार्बन ब्लैक वर्तमान जांच के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है।

6. सम्बद्ध वस्तु अधिनियम के अध्याय 28 के उपशीर्षक संख्या 28030010 के अंतर्गत आता है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. चूंकि वर्तमान आवेदन निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच में था। सम्बद्ध वस्तु सीमा शुल्क प्रशुल्क के अध्याय 28 के अंतर्गत उपशीर्षक संख्या 28030010 के अंतर्गत आता है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

<u>समान वस्तु</u>

9. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) निम्नलिखित प्रावधान करता है –

''समान वस्तु'' का आशय उस वस्तु से होता है जो भारत में पाटित की जा रही विचाराधीन वस्तु के सभी रूपों में समान अथवा समरूप हो अथवा ऐसी वस्तु की गैर-मौजूदगी में कोई अन्य वस्तु, जो यद्यपि सभी रूपों में एक समान न हो, परन्तु जिसके गुण धर्म विचाराधीन वस्तु के गुणधर्मों के काफी सदृश हों।''

10. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित कार्बन ब्लैक और सम्बद्ध देशों से निर्यातित कार्बन ब्लैक में कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित कार्बन ब्लैक और सम्बद्ध देशों से आयातित कार्बन ब्लैक के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे पैरामीटरों के रूप में तुलनीय गुणधर्म है। दायर किया गया यह आवेदनपत्र प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा में वृद्धि करने, उसकी निरन्तरता बनाए रखने और उसकी समीक्षा करने के लिए है और समान वस्तु के मुद्दे का निराकरण पिछली जांच में पहले ही कर दिया गया है। विगत जांच में प्राधिकारी ने पहले ही यह अधिवचन किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

<u>घरेलू उद्योग एवं आधार</u>

11. यह आवेदन पत्र मैसर्स फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड और मैसर्स हाईटेक कार्बन द्वारा दायर किया गया है जो मूल जांच में घरेलू उद्योग थे। भारत में इस सम्बद्ध वस्तु के तीन अन्य उत्पादक भी है नामश: मैसर्स कान्टिनेन्टल कार्बन इण्डिया लिमिटेड, हिमाद्रि कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स गुडलक कार्बन ब्लैक लिमिटेड। इन अन्य घरेलू उत्पादकों ने इस निर्णायक समीक्षा जांच के आवेदन पत्र का न तो समर्थन

किया है और न ही उसका विरोध किया है। आवेदन पत्र से यह नोट किया जाता है कि आवेदक उद्योग का उत्पादन भारत में सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन का 78.29% उत्पादन बनता है इसलिए नियमावली के अनुसार भारतीय उत्पादन में उनका एक बड़ा अनुपात बनता है।

12. आवेदकों द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार आवेदक कम्पनियों में से किसी ने भी सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। पुनः यह प्रस्तुत किया गया है कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड का इस सम्बद्ध वस्तु के किसी भी आयातक या निर्यातक से कोई सम्बंध नहीं है। तथापि, हाई टेक कार्बन, जो आदित्य बिरला ग्रुप से संबंधित है, की थाईलैण्ड और चीन में ग्रुप कम्पनियां है जो जॉच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु का निर्यात करने में संलिप्त रही हैं। आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन के सम्बंधित निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात जॉच की अवधि के दौरान इस सम्बद्ध वस्तु का चीन द्वारा भारत को किये गए कुल निर्यात (i) कुल भारतीय उत्पादन (ii) घरेलू उद्योग की बिक्री तथा (iii) भारत में सम्बद्ध वस्तु की कुल मांग का एक अमहत्वपूर्ण प्रतिशत बनता है। आवेदनकर्ताओं के आधार के संबंध में मुद्दा विगत जांचों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया था और प्राधिकारी ने संगत जॉच परिणामों में उनकी जॉच की द्वारा जिनमें प्राधिकारी ने यह अधिवचन किया कि हाई-टेक कार्बन और मैसर्स फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड दोनों ही घरेलू उद्योग बनते हैं। चूंकि उपर्युक्त स्थिति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान आवेदकों को नियम 2 (ख) के आशय के अन्तर्गत घरेलू उद्योग माना है और यह याचिका प्रमुख नियमावली के नियम 5 के अनुरूप आधार के मानदण्ड को संतुष्ट करती है।

<u>पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत</u>

13. यतः, दायर किए गए विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन पत्र के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी सम्बद्ध देशों में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के बारे में प्रभावी शुल्क के अधिरोपण की निरन्तरता की जरूरत की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन की निरन्तरता और उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारम्भ करते हैं।

जांच की अवधि

14. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि अक्टूबर 2012 से सितम्बर, 2018 (12 माह) है जिसमें वर्ष 2010-11, 1011-12, 2012-13 और जांच की अवधि को कवर करते हुए क्षति जांच अवधि शामिल है। तथापि, अधिक अद्यतनीकृत आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करने हेतु प्राधिकारी को सक्षम बनाने के लिए प्राधिकारी, एतद्द्वारा, जांच की अवधि को अक्टूबर, 2012 दिसम्बर 2013 (15 माह) निर्धारित करते हैं। तथापि, क्षति जांच अवधि में वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी। पाटन एवं क्षति की सम्भावना का निर्धारण करने के लिए जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों की भी जांच की गई है।

प्रक्रिया

15. इस समीक्षा में दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/21/2008-डी जी ए डी (मूल जांच के अंतिम जांच-परिणाम) और दिनांक 28 फरवरी, 2013 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/41/2010-डी जी ए डी के तहत मध्यावधि समीक्षा में यथा संशोधित सभी पहलू शामिल होंगे।

16. प्रमुख नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों तथा सम्बद्ध देशों की सरकार को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप और ढंग में सभी संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय

चौथा तल, जीवनतारा बिल्डिंग

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-11001

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे उल्लिखित समय सीमा के अन्दर विहित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

19. वर्तमान समीक्षा से संबंधित किसी सूचना और सुनवाई के लिए अनुरोध को लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) से अनधिक समय में पहुंच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

20. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर पाटनरोधी शुल्क की निरन्तरता की जरूरत अथवा अन्यथा के संबंध में अपनी टिप्पणियां इस जांच के प्रारम्भ से (40 दिनों) के अंदर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्रश्नावली **प्र**त्युत्तर प्रस्तुतीकरण के किसी भाग पर यदि गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो पृथक सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए (क) गोपनीय के रूप में (शीर्षक, अनुक्रमणिका, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) के रूप में चिन्हित तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय (शीर्ष, अनुक्रमणिका, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) के रूप में चिन्हित होना चाहिए। प्रस्तुत की गई सभी सूचना को स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर चिन्हित हो और उसकी सॉफ्ट कॉपी संलग्न हो ।

22. किसी गोपनीय चिन्हाकन के बिना की गई प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय रूप में समझी जाएगी और प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि ऐसी प्रस्तुति का निरीक्षण करने के लिए वह अन्य इच्छुक पक्षकारों को अनुमति प्रदान करें। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. गोपनीय के रुप में दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता से प्रदत्त सूचना के साथ उन कारणों का विवरण प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है कि उक्त सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/अथवा उक्त सूचना को संक्षेप में प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

24. अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए और जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की पर्याप्त समझ प्राप्त हो सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

25. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात् गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

26. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीय की दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप में प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

<u>असहयोग</u>

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुंच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2014

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review (SSR) of Anti-Dumping duties imposed on the imports of 'Carbon Black used in rubber applications', originating in or exported from China PR, Russia and Thailand.

F.No.15/8/2014-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules);

2. Whereas, an anti-dumping investigation concerning imports of "Carbon Black used in rubber application" (hereinafter also referred as the subject goods), originating in or exported from Australia, China PR, Russia and Thailand was initiated by the Designated Authority (hereinafter also referred as the Authority) *vide* Notification No.14/21/2008-DGAD, dated 26th December 2008.

3. Whereas, the preliminary finding was issued by the Authority, recommending imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from Australia, China PR, Russia and Thailand, *vide* Notification No. 14/21/2008-DGAD, dated 25th May, 2009. The provisional duty was imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the Australia, China PR, Russia and Thailand *vide* Notification No. 83/2009-Customs, dated 30th July, 2009. The final findings notification of the Authority was published vide Notification No. 14/21/2008-DGAD, dated 24th December, 2009. The definitive anti dumping duties were imposed by the Central Government on the imports of the subject goods originating in or exported from the said countries *vide* Notification No. 6/2010 dated 28th January, 2010.

4. Whereas, the Authority had initiated a midterm review (MTR) investigation *vide* Notification No.15/41/2010-DGAD, dated the 30th August, 2011 and vide Notification No.15/41/2010-DGAD, dated the 28th February, 2013 recommended for continuation of the anti-dumping duty at enhanced rates which was imposed by the central Government *vide* Notification No. 9/2013-Customs (ADD), dated 26th April, 2013.

5. Whereas, M/s. Phillips Carbon Black Limited and M/s Hi-Tech Carbon (hereinafter also referred as applicants) have filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Australia, China PR, Russia and Thailand and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the said countries.

Countries Involved

6. From the information furnished by the applicants, the Authority notes that there are no imports of the subject goods from Australia during the POI. The petitioners have also not substantiated any likelihood of dumping in respect of Australia. Subsequently, the petitioners withdrew the petition in respect of imports from Australia and requested the Authority not to initiate sunset review investigation in respect of Australia in view of lack of evidence to show likelihood or continuation of dumping and injury. In view of the above stated position, the Authority has excluded Australia from the purview of the present SSR investigation and considered China PR, Russia and Thailand (hereinafter also referred to as the subject countries) as subject countries in the present SSR investigation.

Product under Consideration and Like Article

7. The product under consideration in the present SSR application, as in the original investigation, is 'Carbon Black used in rubber applications'. The Product under Consideration (PUC) in the original investigation was defined as under:

> *"5. The product under consideration is 'Carbon Black used in rubber applications'. It is an inorganic chemical used in production/ processing of rubber (including tyres), as reinforcing filler. Carbon Black is also known as acetylene black, channel black, furnace black, lamp black, lampblack, thermal black, and noir de carbone. Carbon black can be divided into two categories – rubber and non-rubber applications Carbon black. Carbon black for rubber applications is the Carbon black that is used in production/ processing of rubber (including tyres), as a reinforcing filler. The present investigation is in respect of Carbon black used in rubber applications. Carbon black used in non-rubber applications, such as inks in copiers and computer printer cartridges, paints, crayons and polishes, is not within the scope of the present investigation.*
>
> *6 The subject goods fall under Chapter 28 of the Act under Subheading No. 28030010. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation."*

8. Since the present application is for sunset review investigation, the scope of the product under consideration shall remain the same as that of original investigation. The subject goods fall under Chapter 28 of the Customs Tariff under Subheading No.28030010. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

9. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

10. Applicants have claimed that there is no known difference in carbon black produced by them and exported from subject countries. Carbon black produced by the applicants and imported from subject countries are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The application filed is for the review, continuation and enhancement of the quantum of the anti-dumping duty in force, and the issue of like article has been already dealt with in the previous investigations. In the earlier investigations the Authority has already held that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the same imported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

11. The application has been filed by M/s. Phillips Carbon Black Limited and M/s. Hi-Tech Carbon who constituted the domestic industry in the original investigation. There are three other producers of subject goods in India namely M/s. Continental Carbon India Limited, Himadri Chemicals and Industries Limited and M/s Good luck Carbon Black Pvt. Ltd. These other domestic producers have neither supported nor opposed the present SSR application. From the application it is noted that the applicant industry's production accounts for 78.29 % in the production of the subject goods in India, hence constituting a major proportion in Indian production, as per the Rules.

12. As submitted by the applicants, none of the applicant companies have imported the subject goods from the subject countries. It has been further submitted that Phillips Carbon Black Limited is not related to any exporter or importer of the subject goods. However, Hi-Tech Carbon belonging to Aditya Birla Group has group companies in Thailand and China involved in the export of subject goods to India during the POI. On the basis of information furnished by the applicants, the Authority notes that the exports made by the related Chinese exporters constitutes an insignificant percentage of the total exports of the subject goods made by China to India during the POI to – (i) the total Indian production, (ii) domestic sales of the DI and, (iii) the total demand for subject goods in India. The issue regarding standing of the applicants was raised in the earlier investigations by the interested parties and the same had been examined by the Authority in

the relevant findings, wherein the Authority had held that both Hi-Tech Carbon and M/s Phillips Carbon Black Limited constitute domestic industry. Since there is no material change in the above position, the Authority has considered the present applicants as constituting domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra

Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping Duty

13. Whereas in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation

14. The period of investigation (POI) proposed by the applicant is October, 2012 – September, 2013 (12 Months) with the injury investigation period as covering 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI. However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority hereby determines the POI as October, 2012 – December, 2013 (15 Months). The injury investigation period will, however, cover the periods 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure

15. The review covers all aspects of Notification No. 14/21/2008-DGAD dated 24th December, 2009 (final findings of the original investigation) and as modified in the mid-term review investigation vide final findings No. 15/41/2010-DGAD dated 28th February, 2013.

16. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

17. The known exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

19. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

22. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

23. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file:

27. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-co-operative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.